न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 609/2018

प्रार्थी **बनाम अप्रार्थीगणः—**

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री पेमाराम उम्र 50 वर्ष, जाति— मेघवाल (भाम्बी) ग्राम— जवडीया तहसील व जिला— पाली(राज.)

1. श्री हनुमानराम पुत्र श्री पूनमजी, उम्र बालिग, जाति— कलबी, निवासी—चिमनपुरा, तहसील व जिला—पाली (राज.)।
2. श्री भैराराम पुत्र श्री गोपाराम उम्र बालिग, जाति—पीटल, निवासी—बलदो की ढाणी, तहसील व जिला— पाली (राज.)।
3. राजस्थान सरकार सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली जिला पाली (राज.)।

उपस्थितिः—

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

<u>प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—:आदेशः— दिनांक 22.08.2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम बल्दों की ढाणी के खसरा नंबर 397, रकबा 14.14 बीघा, किस्म— बारानी अव्वल भूमि है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 397, रकबा 14.14 बीघा, किस्म— बारानी अव्वल की भूमि में से आम रास्ते पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम बल्दों की ढाणी के खसरा नंबर 370/1 रकबा 0.11 बीघा, किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 375/1 रकबा 11.00 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 376 रकबा 13.14 बीघा, किस्म किस्म बारानी दोयम में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार प्रार्थी अपनी कृषिभूमि मे आने जाने, काश्त करने, कृषि उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु कृषि यंत्र व सामग्री लाने ले जाने हेतु रास्ता चाहा गया है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र में आवेदित भूमि की जांच जरिये पत्रांक/कोर्ट/2018/1137 दिनांक 26—09—18 तहसीलदार, पाली से चाही गई। तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/राजस्व/18/1677 दिनांक 26—10—2018 के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया। तहसीलदार, पाली ने जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि ग्राम बल्दों की ढाणी खसरा नंबर का खसरा नम्बर 375/1, रकबा 11.00 बीघा किस्म बारानी दोयम मे हनुमान पुत्र पूनमजी जाति कलबी सा. 103 चिमनपुरा पाली, खाातेदार रहन एम जी बी हाउसिंग बोर्ड पाली, खसरा नं. 376 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम मे मोराराम पुत्र श्री गोपाराम कौम पाटील सादेह खातेदार रहन एम जी बी ग्रामीण बैंक हाउसिंग बोर्ड पाली तथा खसरा नं. 397 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल बाबूलाल पुत्र श्री पेमाराम कौम भाम्बी सादेह खातेदार रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक हाउसिंग बोर्ड पाली के नाम दर्ज है। श्री बाबूलाल के खसरा नम्बर 397 का खातेदार है पूर्व मे खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

370/1 से होते हुए खसरा नम्बर 375/1 व 374 के मध्य की माठ पर खसरा नम्बर 375/1 मे से होते हुए खसरा नम्बर 376 मे से होते हुए अपने खसरा नम्बर 397 मे जाता रहा है जिसे वर्तमान मे बन्द कर दिया गया है। उक्त रास्ते को संलग्न मौका फर्द के नजरी मानचित्र मे दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता केवल कृषि कार्य हेतू है किसी अन्य कार्य हेतु नहीं है प्रस्तावित रास्ते मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है। खसरा नम्बर 375/1 मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा 2 X 60 गट्टण (13 फिट चौड़ाई मे) 00.06 बीघा तथा खसरा नम्बर 376 मे रास्ते की भूमि का रकबा 2 X 42 गट्टण से 00.04 बीघा बनता है। ग्राम बल्दो की ढाणी की डी.एल.सी दर 1,77,444/– प्रति बीघा से 00.06 बीघा भूमि की दो गुना दर से नियत राशि 1,06,466/– अक्षरे एक लाख छः हजार चार सौ छियासठ रूपये होती है तथा 00.04 बीघा भूमि भूमि की नियम राशि 70,977/– (दो गुना से) अक्षरे सितर हजार नो सौ सितयतर होती है। उक्त रास्त का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जायेगा।

3. अप्रार्थी संख्या दो को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 17.12.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के जोत मे जाने के लिये पहले से ही एक मार्ग स्थित है जो प्रार्थी व उसके पुर्वज उपयोग मे ले रहे है, सिर्फ अप्रार्थी संख्या 1 की जोत की कीमत कम करने व जोत मे विवाद उत्पन्न करने के लिये प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी जवाबदाता व इसके अतिरिक्त आप पास के खेतो की भौतिक व राजस्व रेकर्ड अनुसार स्थिती भिन्न–भिन्न है जहा खातेदार काबिज है वहा वास्तविक रूप से राजस्व रेकर्ड अनुसार भुमि नही आती है तथा जहा राजस्व रेकर्ड अनुसार भुमि है वहा पर खातेदार व्यवस्थित रूप से काबिज नहीं है। अप्रार्थी के खेत की भी ऐसी ही स्थिती है, तर्क के रूप मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी के सम्पूर्ण खेत की स्थिती ही खराब हो जायेगी तथा अप्रार्थी जवाबदाता अपने खेत का जीवन भर सही व व्यवस्थित रूप से उपयोग व उपभेग नही कर पायेगा, क्योंकी श्रीमानजी द्वारा रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी के भुमि की सीमा पर रास्ते बाबत् आदेश होगा तथा वास्तविक रूप ये अप्रार्थी सही ढंग से भूमि पर काबिज नही है जिस कारण रास्ता अप्रार्थी के खेत के मध्य मे से निकलेगा। जिससे अप्रार्थी की भूमि दो भागो मे विभक्त हो जायेगी तथा अप्रार्थी को दोनो भागो को अलग अलग बाड व तारबन्दी से सुरक्षित रखना पडेगा। जो सामान्य रूप से संभव भी नही हो पायेगा। क्योकी अप्रार्थी की भुमि अत्यधिक बडी नही है। इसे अतिरिक्त अप्रार्थी की भुमि पर कुआ है। जिसकी स्थिती भी अलग तरह की होगी तथा एक ही खेत मे उपयोग मे लिया जा सकेगा। ऐसा भी संभव है कि रेकर्ड अनुसार रास्ता कुऐ के मध्य मे से निकलता हो। इस कारण उपरोक्त स्थिती मे किसी भी रूप मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अप्रार्थी प्रार्थी व अन्य आसपास के व्यक्ति वास्तविक व भौतिक रूप से सही ढंग से भुमि पर काबिज हो तो स्थिती अलग व व्यस्थित हो सकती है तथा प्रार्थना पत्र का भी व्यस्थित रूप से निपटारा संभव हो सकता है। अप्रार्थी की भूमि पर मारवाड ग्रामीण बैंक का ऋण लिया हुआ है जिस कारण अप्रार्थी की भुमि वर्तमान मे रेकर्ड के तौर पर मारवाड़ ग्रामीण बैंक की है। इस कारण भी हाजा प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के जरिये रास्ते का आदेश करवाने के बाद अपनी भुमि का व्यवसायिक संपरिवर्तन करवाना चाहा रहा है। पास मे ही भुमि किसी प्राईवेट स्कुल के नाम से ली हुई है तथा भुमि पाली शहरी सीमा के पास ही है। प्रार्थी स्वच्छ हाथो से हाजा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अप्रार्थी पुर्ण रूप से खेती पर ही आश्रित है तथा अप्रार्थी की भुमि मे से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी जवाबदाता

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

को अत्यधिक नुकसान होगा। जिसका मुद्रा मे भी मुल्याकन संभव नहीं है। अप्रार्थी व उसके उत्तराधिकारी ताउम्र रास्ते से होनी वाली पेरशानी का सामना करना पडेगा इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक व व्यवस्थत रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावे।

5. बहस के समय वकील प्रार्थी अनुपस्थित तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने बताया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी मौके पर भौतिक रूप से रेकर्ड के अनुसार नहीं बैठे है जिस माठ के साथ साथ रास्ता मांगा जा रहा है वह माठ रेकर्डनुसार नहीं है एव रेकर्डनुसार अंकित माठ के साथ रास्ता देने की स्थिति मे विवाद उत्पन्न होगा। कृषि भूमि ग्राम बल्दों की ढाणी के खसरा नंबर 397, रकबा 14.14 बीघा, किस्म– बारानी अव्वल, खसरा नंबर 370/1 रकबा 0.11 बीघा, किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 375/1 रकबा 11.00 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 376 रकबा 13.14 बीघा, किस्म किस्म बारानी दोयम भूमि मौके पर भौतिक रूप से खसरे कि रेकर्ड अनुसार साईज नहीं है। मैं भी भौतिक रूप से कम जमीन पर बैठा हूँ। अगर प्रार्थी को खसरा संख्या खसरा नंबर 370/1 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नम्बर 375/1 रकबा 11.00 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 13.14 बीघा की माठो के सहारे सहारे रास्ता देने की स्थिती मे विवाद उत्पन्न होगा। वकील वादी अनुपस्थित थे इसलिए बहस नहीं की।

6. पत्रावली का अवलोकन किया और बहस वकील अप्रार्थी संख्या एवं सरकारी पैरोकार की पर मनन किया एवं प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शे एवं मौका फर्द मे अंकित नक्शे मे अन्तर मिलता है। जिसका कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वकील प्रार्थी की ओर से मौके एवं रिकार्ड की स्थिती मे भिन्नता के संदर्भ मे प्रार्थी वकील द्वारा अवगत नहीं कराया गया है मौका स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक- 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.08.28 12:58:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: